केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
27 JUN 2025
D. No. ....
Initials........

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00125
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/25/00253
अपीलकर्ता श्री नेत्रपाल सिंह

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	13.05.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	16.05.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	19.05.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.के. चितकारा CPIO (DR to CIC)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	31.05.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	05.06.2025
निर्णय की तारीख	26.06.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 13.05.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

"उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 व 2006 के अंतर्गत द्वितीय फाइल नं0 CIC/PRGHS/A/2023/134978 पेज 65 और फाइल नं0 CIC/PRGHS/A/2023/142218 पेज 61 पर पारित आदेश दिनांक 18.09.2024 में रिव्यू /रिकाल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.2024 में सुनवाई हेतु तारीख कब लगेगी कब फैसला होगा बताने की कृपया करें।"

2. प्रदान की गई सूचना

"With reference to your RTI application dated 13.05.2025 received on 16.05.2025, it is informed that there is no provision under the RTI Act, 2005 to

review the decision of the Commission. Therefore, your request for review of the decisions of the Commission dated 18.09.2024 in second appeal No. CIC/PRGHS/A/2023/134978 and CIC/PRGHS/C/2023/142218 can not be acceded to."

3. प्रथम अपील का आधार

प्रार्थी द्वारा अधिनियम की धारा - 6 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 13.05.2025 पर सूचना न दिए जाने पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की रीति में कृत्रिम बाधा उत्पन्न किये जाने के दण्ड स्वरुप जनसूचनाधिकारी के विरुद्ध धारा - 20 (1) एवं 20 (2) के अंतर्गत दण्डित किया जाना एवं निःशुल्क पूर्ण सूचना उपलब्ध कराया जाना।

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा द्वितीय नं0 CIC/PRGHS/A/2023/134978 पेज 65 और फाइल नं0 CIC/PRGHS/C/2023/142218 पेज 61 पर पारित आदेश दिनांक 18.09.2024 में रिब्यू/रिकॉल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.2024 में सुनवाई हेतु तारीख कब लगेगी कब फैसला होगा बताने की कृपया करें।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00253 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 26.06.2025

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

O/C

27/06/25